



## थाना बाबूपुरवा पुलिस टीम ने सीएए/एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दंगों में वाँछित/पुरुस्कार घोषित(15000/- रुपये) अभियुक्त को गिरफ्तार किया

दिनांक 20.12.2019 को सीएए/एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के सम्बन्ध में बगाही ईदगाह चार राड के पास कुछ लोगो द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर गोला बारूद ईट पत्थर व अवैध असलहो से जान से मारने की नियत से फायर करते हुये आगजनी की घटना कारित कर सरकारी सम्पत्ति व प्राइवेट सम्पत्ति को छति पहुँचाते हुये हिंसक घटना कारित की गयी थी।

जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूपुरवा पर मु0अ0सं0 362/2019 धारा 147/148/149/332/353/336/307/188/427/34/109/302/120 बी भा0द0वि0, ¼ पीपीडी एक्ट, 7 सीएलए एक्ट व 27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वाँछित व इनामिया मो0 फैज पुत्र मो0 शफीक को आज दिनांक 05.06.2021 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. मो0 फैज पुत्र मो0 शफीक निवासी 131/222 बेगम पुरवा थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष  
बरामदगी –

- एक अदद देशी तंमचा मय एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

### अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 362/2019 धारा 147/148/149/332/353/336/427/188/109/34/302/307/120 भी भादवि व 7 सीएलए एक्ट व ¼ पीपीडी एक्ट व 27 आयुध अधिनियम थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 41/2021 धारा 147/452/354 ख /323/506/427 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 95/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
4. अन्य थानाजात से की जा रही है।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- प्र0नि0 श्री देवेन्द्र विक्रम सिंह थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर मय टीम